सिडबी ने विभिन्न राज्यों में प्रवर्तक और विकास शील कार्य भी किए हैं। गुजरात में किए गए ऐसे कार्यकलापों में प्रबन्धन सहायता के लिए तैयार किया गया विशेष कार्यक्रम विपणन कार्य करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए विशेष कार्यक्रम, मशीन टूल उद्योगों के समूह के लिए तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम, ग्रामीण उद्यम विकास कार्यक्रम, बिजली चालित करघों की इकाइयों के लिए दक्षता और तकनीकी उन्नयन और ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु सहायता।

गर-सरकारी कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं के लिए एस.ई.बी.आई. के दिशानिर्देश

1629. **श्री सोमपाल :**
श्री राम गोपाल यादव :
श्री शारदा महन्ती :
डा. नौनिहाल सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड गैर-सरकारी कंपिनयों में वित्तीय संस्थाओं की भूमिका से संबंधित दिशानिर्देश बनाने पर विचार कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) आचार संहिता और नियम कब तक लागू किये जाएंगे ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अयरार अहमद) : क) से (ग) जी, नहीं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने निजी कंपनियों में वित्तीय संस्थाओं का नियंत्रण करने के संबंध में कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए हैं और न ही जारी करने पर इस समय विचार कर ही है। तथापि, दिसम्बर, 1992 में सेबी ने चुनिंदा वित्तीय संस्थाओं के मुख्य कार्यपालकों से अनुरोध किया था कि वे उन कंपनियों, जिनमें उनका पर्याप्त धन लगा हुआ हैं, की वार्षिक आम सभा में भाग लेने के लिए अपने प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अतिरिक्त धन जुटाने के लिए कंपनियों के प्रस्ताव पर्याप्त रूप से न्यायोचित हों तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि इशूज का मुल्य निर्धारण तर्कसंगत हो, नियुक्त करें।

Difference in leaving excise duty

1630. SHRI ANANT RAM JAISWAL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have received representations to remove the distinction in the proposed excise duty in respect of registered and unregistered small scale industrial units;

(b) if so, what are the details of these representations; and

(c) whether Government have studied these representations, if so, what decision has been taken by Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKHAR MURTHY): (a and (b) Representations have been received to remove the distinctin between registered and unregistered small scale units for the purpose of excise duty concession.

(c) The Government, after examining the representations, have increased the limit for exemption from excise duty in respect of unregistered small scale units from Rs. 10 lakhs to Rs. 30 lakhs per year.